

प्रेषक

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (धर्मिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में

प्रबन्धक,

“महार्षि विद्वको नन्द पर्मिता का गुण हा. हृषा,  
त्रिपेस र रोह, चौपला, जानियांगांद ।

पत्रांक सं0: शि.स. / ५६६७-८-३ / २००४-०५ : दिनांक ३-२-०५

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अरथायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक ३-२-२००५ में तिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या ६४६/१५-६-९७-१८ एस. (7) ८९/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक १३ अगस्त १९९७ में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कठिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा ६ से ८ तक) स्तर की नवीन अरथायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

- 1) विद्यालय की अरथायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्त पूर्ण कर अरथायी मान्यता को रथायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती ।
- 2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजएक्ट के तहत द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।
- 3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र धर्म का सम्मान व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी दिभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।
- 4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।
- 5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समर्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।
- 6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही देतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे ।
- 7) जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्ष, अथवा कोई सेवान न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 10) विद्यालय में समर्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
- 13) विद्यालय के समरत स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निवाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियां और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्थायी फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को वैठाए तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्भार्ण करायें।

भवदीय,

१५.०८.०८/१०८

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ०सं० शि.स./ ० / २००८-०९ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु  
प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ